

आदेश

डा० विजय कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना जो दिनांक 30.11.2018 को सेवा निवृत्त हो गये हैं, के फलस्वरूप बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एवं नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4185/वि० दिनांक 13.7.1985 की कड़िका 5 एवं अधिसूचना संख्या 2757/वि० दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एवं फैक्स संवाद 2685/वि० (2) दिनांक 22.4.1998 के आलोक में कुल रूपये 2,41,339/- (दो लाख एकतालीस हजार तीन सौ उन्चालीस) रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत डा० विजय कुमार सिन्हा अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहेंगे तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित दर क्रमशः 10/-, 20/- 80/- एवं 120/- रूपये की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहे हैं जिसका ब्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :-

	मूलधन	ब्याज	कुल योग
(i) पुरानी ग्रुप बीमा योजना	13320	227762	241082
(ii) नयी ग्रुप बीमा योजना	252	5	257
कुल योग	13572	227767	241339

कुल रूपये 2,41,339/- (दो लाख एकतालीस हजार तीन सौ उन्चालीस) रूपये मात्र ।

3) यह बजट शीर्ष-8011- बीमा एवं पेंशन निधियों राज्य सरकार के वीम निधि (व्यय) 105 राज्य सरकार वीमा निधि (1) से विकलनीय होगी ।

4) वर्णित राशि की निकारी अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात डा० विजय कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 11756330200 के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।

5) इस राशि की निकारी विपत्र कोड संख्या-एल-8011001050001 से की जाएगी।

6) आदेश में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 16/4/2019

ज्ञापक-

491(3)

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ः०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वित्त विभाग (ग्रुप बीमा शाखा) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर सचिव-सह निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा० विजय कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना । पत्राचार पता-मकान सं० 295 बी०, रोड नं०-4, राजेन्द्र नगर, पोस्ट-राजेन्द्रनगर, थाना-कदमकुआँ, पटना, बिहार, पिन-800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी 2/3 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

2/4